राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

☎ 0141-2227177 ✉ pdengg_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 27(27) ग्राविवि–5/PMAY-G/लक्ष्य/2020–21 जयपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2020

जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु आवंटित लक्ष्यानुसार शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 20.03.20, 07.05.20, 18.05.20, 27.05.2020, 04.06.2020 एवं 01.07.20

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत प्रासांगिक विभागीय पत्र दिनांक 20.03.2020 के द्वारा वर्ष 2020–21 के लक्ष्य आवंटित कर पत्र दिनांक 07.05.2020 द्वारा स्वीकृति जारी करने एवं वरीयता सूची में अपात्र परिवारों को रिमाण्ड मॉड्यूल द्वारा अपात्र हेतु आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने बाबत निर्देशित किया गया है। इसी कम में योजनान्तर्गत आवास सॉफ्ट पर अपलोड वरीयता सूची में जिले द्वारा अपलोड प्रकियाधीन रिमाण्ड को कम करने के बाद उपलब्ध परिवारों एवं जिले को वर्ष 2020–21 तक आवंटित लक्ष्यो के विरूद्ध स्वीकृति जारी करने के उपरान्त यदि जिले की वरीयता सूची में कोई भी पात्र परिवार स्वीकृति हेतु शेष नहीं है तो उक्त सम्बन्ध में इस आशय का जिला कलक्टर से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के दौरान अन्य राज्यों से वापस लौटे मजूदरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के चयनित 22 जिलों में संचालित गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में राज्य को 303643 स्वीकृतियां जारी करने का लक्ष्य आवंटित है। जिसमें से आदिनांक तक मात्र 87300 (28.75 प्रतिशत) स्वीकृतियां ही जारी की गई हैं जो खेद जनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वरीयता सूची में शेष पात्र परिवारों को अविलम्ब शत प्रतिशत स्वीकृति दिनांक 21.09.2020 तक आवश्यक रूप से जारी करें। साथ ही वरीयता सूची में पाये गये अपात्र परिवारों रिमाण्ड मॉड्यूल द्वारा अपात्र हेतु आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराकर जिला कलक्टर से हस्ताक्षरित *"कोई पात्र परिवार शेष नहीं है"* का प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2020 तक भिजवावे।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि